न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 98/2023

प्रार्थीगण	**बनाम**	विप्रार्थीगण
1. भगवानाराम पुत्र नगाराम 2. वालाराम पुत्र नगाराम जातियान जाट निवासी नारायणपुर, (सड़ा झुण्ड) तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर		1. भीखाराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी नारायणपुर तहसील सिणधरी 2. तेजाराम पुत्र मोडाराम 3. तुलसाराम पुत्र मोडाराम 4. प्रहलादराम पुत्र मोडाराम 5. रामाराम पुत्र मोडाराम 6. अनाराम पुत्र चेनाराम 7. चेलाराम पत्रु चेनाराम 8. प्रागाराम पुत्र चेनाराम 9. वागाराम पुत्र गुणेंशाराम 10. विरधाराम पुत्र गुणेंशाराम 11. वीरमाराम पुत्र भादाराम जातियान कलबी निवासी रामकिशननगर, (सड़ा) तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री जोगराज पोटलिया, प्रार्थी की ओर से उप...

2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.14 11:09:52 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक 28.12.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खेत मौजा नारयणपुर, पटवार हल्का सड़ा में खसरा संख्या 137 रकबा 6.2940 हैक्टेयर खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा नारायणपुर, पटवार हल्का सड़ा में खसरा संख्या 137 रकबा 6.2940 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा नारायणपुर, पटवार हल्का सड़ा में खसरा संख्या 137 रकबा 6.2940 हैक्टेयर आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा नारयणपुर, पटवार हल्का सड़ा में खसरा संख्या 137 रकबा 6.2940 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि मौजा नारायणपुर, पटवार हल्का सड़ा में खसरा संख्या 137 रकबा 6.2940 हैक्टेयर प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजि[illegible]स तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन [illegible] की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आ[illegible] उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से न[illegible] किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.14 11:09:52 IST
Reason: SelfAttested

5. लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा नारायणपुर, पटवार हल्का सड़ा में खसरा संख्या 137 रकबा 6.2940 हैक्टेयर के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये

सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक28.12.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.14 11:09:52 IST
Reason: SelfAttested